न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 22 / 2023
(GCMS 2023/90)(212227754921570)

श्री जसवन्त सिंह पुत्र श्री जयमलराम निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

29.04.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री जसवन्त सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी श्री जसवन्त सिंह ने सचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत उप तहसीलदार (राजस्व), मिर्जेवाला के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 13.03.2023 को प्रस्तुत करके एक बिन्दु की सूचना चाही गई थी, जो उप तहसीलदार (राजस्व), मिर्जेवाला द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने उप तहसीलदार (राजस्व), मिर्जेवाला के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानानुसार कार्यवाही करने एवं सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री जसवन्त सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 13.03.2023 के द्वारा उप तहसीलदार (राजस्व), मिर्जेवाला से निम्न सूचना चाही थी:

> चक 10 एफ बड़ा मुरब्बा नम्बर 57 के बीघा नम्बर 9,12 व 19 में एफ, एल व वाई पर कैशन नहर की चौड़ाई की प्रमाणित जानकारी बाबत। किला नम्बर 9,12 व 19 में नहर के केन्द्र बिन्दु की प्रमाणित जानकारी बाबत।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:15:41 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार(भू.अ.), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक भू.अ./RTI /2023/424 दिनांक 30.01.2024 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी के उक्त प्रा. पत्र दिनांक 13.03.2023 बाबत सूचना उपतहसीलदार, मिर्जेवाला द्वारा पत्र क्रमांक भू.अ./81/दिनांक 14.03.2023 की दी जा चुकी है। जिसमें उक्त सूचना अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन, उत्तर खण्ड, श्रीगंगानगर से संबंधित होने के कारण मूल प्रा.पत्र व डीडी भिजवाया जाकर सूचना उक्त कार्यालय से प्राप्त करने हेतु लिखा गया था। सूचना श्रीमानजी की सेवा में सादर प्रेषित है।

-sd-
तहसीलदार (भू.अ.)
श्रीगंगानगर

चूंकि **उप तहसीलदार, मिर्जेवाला द्वारा** अपीलार्थी को अपने पत्र दिनांक 14.03.2023 से अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है कि उनके **द्वारा चाही गई** सूचना का सम्बन्ध अधिशाषी अधिकारी, जल संसाधन विभाग, उत्तर खण्ड श्रीगंगानगर से होने के कारण उन्होनें ने अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अधिशाषी अधिकारी, जल संसाधन विभाग, उत्तर खण्ड श्रीगंगानगर को स्थानान्तरित किया जा चुका है। **अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को** अधिशाषी अधिकारी, जल संसाधन विभाग, उत्तर खण्ड श्रीगंगानगर **के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी वांछित सूचना हेतु** अधिशाषी अधिकारी, जल संसाधन विभाग, उत्तर खण्ड श्रीगंगानगर **के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है।** क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर अपीलार्थी की अपील यहां से खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की अपील यहां से खारिज की जाती है आदेश की प्रति **तहसीलदार (भू.अ.) श्रीगंगानगर को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:15:41 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बंधु)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर